एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यूपीएस क्रमांक 1186/2011

- आर.आर. दुबे, पुत्र स्वर्गीय आर. दुबे, आयु लगभग 65 वर्ष, व्यवसाय – सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (सीसी) सी.एस.ई.बी., निवासी एम.आई.जी. 45, कटंगा कॉलोनी, कैंट, जबलपुर (म.प्र.)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
2. अतिरिक्त सचिव (दिनांक 24.01.2012 के आदेश द्वारा हटाया गया)
3. सी.एम.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
4. कार्यपालक निदेशक (वित्त) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
5. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)
6. प्रबंधक लेखा (वितरण), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड डंगनिया, रायपुर (छ.ग.)

...प्रतिवादीगण

(शीर्षक केस सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए	:	डॉ. निर्मल शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए	:	श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय

बोर्ड पर आदेश

13.08.2024

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी है:–

"**10.1** 13 मार्च 2005 से ब्याज सहित ठहराव भत्ता प्रदान करने के लिए .

10.2 01.12.2005 से ब्याज सहित पुनरीक्षित वेतनमान हेतु।

10.3 18% प्रति वर्ष ब्याज सहित नवीनतम प्रावधान के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करने हेतु।

10.4 अंतिम पेंशन की संशोधन सहित गणना तथा ब्याज सहित बकाया।

10.5 दिसंबर 2005 तक बोनस तथा निलंबन के दौरान वेतन का अंतर तथा वेतन वृद्धि के कारण बकाया ब्याज सहित।

2. डॉ. शुक्ला ने प्रारंभ में ही निवेदन किया कि वे केवल 18% प्रति वर्ष ब्याज सहित नवीनतम प्रावधान के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में राहत की मांग कर रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादियों के अधीन मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे, 31.12.2005 को सेवानिवृत्ति के कारण सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। इससे पहले, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) और 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 196 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध के लिए 29.03.2000 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद, आपराधिक मामले में 26.02.2006 को आरोप–पत्र दायर किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोपों पर विभागीय जांच शुरू की गई थी:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- आरोप संख्या–।

  श्री आर.आर.दुबे, मुख्य अभियंता (सी/सी) ने दिनांक 10.04.2003 से 27.09.2004 तक मुख्य अभियंता (एस एंड पी) रायपुर के पद पर कार्य करते हुए निविदा के तहत विद्युत ट्रांसफार्मरों की खरीद के मामले में गंभीर अनियमितताएं और गंभीर कदाचार किया। विनिर्देश क्रमांक 55 में निम्नानुसार उल्लेख है:–

  "श्री आर.आर. दुबे ने 40 5 एमवीए और 100 3.15 एमवीए पावर ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर्स (पी) लिमिटेड, दिल्ली को टीएस–55 के विरुद्ध द्वितीय चरण क्रय आदेश संख्या 02–03/सीई (एसएंडपी)/एसईपी–III/एएसईपीआईवी/695 दिनांक 22.12.03 (1357.80 लाख रुपये) दिया था, बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए। यह जानते हुए कि पावर ट्रांसफार्मरों की उक्त खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता है और इस प्रकार जानबूझकर इस आदेश का प्रयोग किया गया। शक्तियां उन पर निहित नहीं हैं जो उनके आचरण को दर्शाती हैं और इस प्रकार वह सी.जी. सेवा आचरण नियम 1965 के

नियम 3(i) (ii) (iii) के तहत कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

- आरोप संख्या–II

श्री आर.आर. दुबे ने दिनांक 10.04.2003 से 27.09.2004 के मध्य मुख्य अभियंता (सी/सी) के पद पर कार्य करते हुए एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्रय आदेश संख्या 02–03/सीई(एस एंड पी)/एसईपी–3/एएसईपी–IV/695 दिनांक 22.12.2003 की प्रतिभूति जमा राशि खण्ड–2 को माफ करके घोर अनियमितताएं एवं कदाचार किया। क्रय आदेश की खण्ड–2 के अनुसार, मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर्स (पी) लिमिटेड, दिल्ली द्वारा डिमांड ड्राफ्ट/बीजी के रूप में 10% प्रतिभूति जमा राशि जमा की जानी थी, ताकि आदेश के विरुद्ध आपूर्ति की गई सामग्रियों के उचित एवं निष्ठापूर्ण निष्पादन के लिए निष्पादन गारंटी को कवर किया जा सके। तत्पश्चात, तत्कालीन मुख्य अभियंता (एस एंड पी) श्री आर.आर. दुबे की अनुमति के अनुसार, मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर्स (पी) लिमिटेड, दिल्ली के बिलों से 65.73 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि काट ली गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ज्ञात हुआ है कि पत्र संख्या 02–03/एसईपी–III/एएसईपी–IV/2329 दिनांक 12.05.2004 के अनुसार, सुरक्षा जमा खंड–2 को श्री आर.आर. दुबे द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संशोधित किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत है:–

"तदनुसार, 5 एवं 3.15 एमवीए, 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के लिए इस कार्यालय आदेश संख्या 02–03/एसईपी–II/एएसईपी–IV/695 दिनांक 22.12.2003 के सुरक्षा जमा खंड को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है:–

"आपके द्वारा प्रस्तुत और हमारे कार्यालय द्वारा स्वीकार की गई 5 लाख रुपये की स्थायी सुरक्षा जमा, इस आदेश के विरुद्ध आपूर्ति की गई सामग्री की गारंटी को कवर करेगी, जो सामग्री के उचित और ईमानदारी से प्रदर्शन के लिए है।

सुरक्षा जमा खंड–2 में उक्त छूट संशोधन के कारण मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर्स (पी) लिमिटेड, दिल्ली के बिलों से काटी गई 10% जमा राशि अनधिकृत रूप से उक्त फर्म को वापस कर दी गई है और वह भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना।

इस प्रकार, श्री आर.आर. दुबे, मुख्य अभियंता सी/सी (यू/एस) ने अपनी शक्तियों से परे और बोर्ड तथा वित्तीय हितों के विरुद्ध कार्य किया, जिससे फर्म को गलत इरादे से अनुचित लाभ मिला और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण न रखते हुए गंभीर कदाचार और अनियमितताएं कीं और इस प्रकार उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्यथा कार्य किया, जो कि सी.जी. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(i)(ii)(ii) का उल्लंघन है और इस प्रकार वे उपरोक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता 31.12.2005 को सेवानिवृत्त हो गये। विभागीय जांच की गई और अंत में याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2011 के आदेश के अनुसार तब तक याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी सहित सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2016 को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था और आपराधिक अपील क्रमांक 2100/2016 म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने यह याचिका दिनांक 28.02.2011 को

दायर की थी क्योंकि आज तक याचिकाकर्ता को देय ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब याचिकाकर्ता 31.12.2005 को सेवानिवृत्त हुआ, तब उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मार्च, 2005 में प्रारंभ की गई विभागीय जांच में उसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2011 के आदेश के अनुसार दोषमुक्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सीएसपीएचसीएल, रायपुर के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा दिनांक 08.02.2011 को यह वादा किया गया था कि विभागीय जांच के अंतिम चरण में होने के पश्चात ग्रेच्युटी पर निर्णय लिया जाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि विभागीय जांच के समापन के पश्चात प्रतिवादी अधिकारियों को सीजी सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिसे आगे "नियम, 1976" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करना चाहिए था; विशेष रूप से नियम 64 । यह भी तर्क दिया गया कि विभाग ने समान स्थिति वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया है और उन्होंने इस संबंध में अनुलग्नक पी/1 को रिकॉर्ड पर रखा है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:–

i. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जोरसिंह गोविंद वंजारी बनाम संभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र, जलगांव संभाग, जलगांव, (2017) 2 एससीसी 12** के मामले में पारित निर्णय;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ) द्वारा पारित निर्णय **बंगाली बाबू मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कानून (सभी) 2002 12 129**; और

iii. **अंगद प्रसाद विश्वकर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, डब्ल्यूपीएस संख्या 463/2017** के मामले में समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने डॉ. शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया। श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 193 और 196 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विभागीय जांच शुरू होने से पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुए, हालांकि विभागीय जांच लंबित थी, उसी समय एक आपराधिक मामला भी लंबित था। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 193 और 196 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2016 के निर्णय के अनुसार दोषी ठहराया गया था। उन्होंने नियम, 1976 के नियम 64(1)(सी) का हवाला दिया, जो विभागीय जांच या आपराधिक मामले के लंबित होने की स्थिति में ग्रेच्युटी के भुगतान पर रोक लगाता है और ग्रेच्युटी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन पर सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी को देय होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने नियम, 1976 के नियम 3(एन) का भी हवाला दिया, जो "पेंशन" का प्रावधान करता है। इसमें ग्रेच्युटी शामिल है, सिवाय इसके कि इसका उपयोग ग्रेच्युटी के विपरीत किया जाता है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने 2017 के डब्ल्यूपीएस नंबर 1627 दाखिल करके सेवानिवृत्ति बकाया का दावा किया था और इसे खारिज कर दिया गया था और आदेश 2017 के डब्लूपीएस नंबर 1627 में पारित 06.02.2024 के फैसले की पुष्टि 2024 के डब्लूपीएस नंबर 133 में की गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत निर्णय अलग–अलग हैं क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य उद्धृत मामलों के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं। उन्होंने कहा कि कानून के उल्लंघन में कोई वादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. वर्तमान मामले में एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ग्रेच्युटी की राशि रोकी जा सकती है।

10. नियम 1976 का नियम 64 इस प्रकार है:–

> **"64 अनंतिम पेंशन जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित हो।**
>
> (1) (क) नियम 9 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट सरकारी सेवकों के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए

अधिकतम पेंशन से अनधिक अनंतिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी के 50% के भुगतान को प्राधिकृत करेगा, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा यदि वह सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बन में था, तो निलम्बन की तिथि से ठीक पहले की तिथि तक अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुमेय होता।

(ख) अनंतिम पेंशन स्थापना वेतन बिल पर आहरित की जाएगी तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने की तिथि तक की अवधि के दौरान भुगतान की जाएगी।

(ग) अनंतिम ग्रेच्युटी स्थापना वेतन बिल पर आहरित की जाएगी तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा उप–नियम [(2)] में उल्लिखित बकाया राशि को समायोजित करने के पश्चात भुगतान की जाएगी। [अधिसूचना संख्या एफबी–6–1–77–एन–II–IV द्वारा प्रतिस्थापित, नियम 60 के उपनियम (1) के अधीन अनंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान, ऐसी कार्यवाही के समापन पर ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, लेकिन जहां अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन/ग्रेच्युटी अनंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी से कम है या पेंशन/ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया है या रोक दिया गया है, वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि विभाग किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोक सकता है यदि विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही उसके समापन तक लंबित है। हालांकि, अगर किसी सरकारी कर्मचारी के

खिलाफ विभागीय जांच लंबित है और वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है और सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उसे 50% तक ग्रेच्युटी जारी करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि जांच लंबित रहने की स्थिति में ग्रेच्युटी राशि का अधिकतम 50% जारी किया जा सकता है और शेष 50% जांच पूरी होने तक रोका जा सकता है।

12. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादियों के अधीन इंजीनियर के पद पर था, 31.12.2005 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उस तिथि से पहले, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 193 और 196 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए 29.03.2000 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपराधिक मामला लंबित रहा और 26.02.2006 को आरोप पत्र दायर किया गया, साथ ही एक विभागीय कार्यवाही भी चल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप 10.03.2011 को याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया। विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जब भुगतान नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की। आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को 27.07.2016 को दोषी ठहराया गया था और आपराधिक अपील संख्या 2100/2016 वर्तमान में म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

13. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अभी भी आपराधिक मामला लंबित है तथा याचिकाकर्ता को आपराधिक न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2016 के निर्णय के तहत दोषी ठहराया गया है। यद्यपि, विभागीय जांच में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया गया था, लेकिन नियम 1976 के नियम 64(1)(सी) के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।

14. **जोरसिंह गोविंद वंजारी (पूर्वोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नैतिक अधमता के लिए बर्खास्तगी के आधार पर ग्रेच्युटी से इन्कार करने के मुद्दे पर विचार करते हुए माना कि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी से इन्कार करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि कर्मचारी का कथित कदाचार घरेलू जांच की रिपोर्ट के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है। कथित कदाचार के कारण बर्खास्तगी होनी चाहिए, जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है, पैरा 14 और 15 इस प्रकार हैं:

> **14** . ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं ही मुआवज़ा दिया है क्योंकि न्यायालय को लगा कि बर्खास्तगी अनुचित थी और चूंकि सेवानिवृत्ति के कारण बहाली संभव नहीं थी। यदि उच्च न्यायालय का विचार था कि बर्खास्तगी उचित थी, तो वह किसी भी मुआवज़े के भुगतान का आदेश नहीं दे सकता था।
>
> **15** . किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने से इन्कार करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि कर्मचारी का कथित कदाचार घरेलू जांच की रिपोर्ट के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है। कथित कदाचार के कारण बर्खास्तगी होनी चाहिए, जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है।

15. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। विभागीय जांच चल रही है, लेकिन साथ ही आपराधिक मामला लंबित है और प्रथम दृष्टया न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया है, जबकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लागू नियमों के अनुसार आपराधिक मामले के अंतिम निपटारे तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

16. **बंगाली बाबू मिश्रा (पूर्वोक्त)** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि किसी भी सेवा नियम या सरकारी आदेश या किसी अन्य कानून के तहत ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्णय का पैरा 9 इस प्रकार है:–

> 9. याचिकाकर्ता को वर्ष 1990 में 100 रुपये की कथित राशि के लिए जालसाजी के मामले में फंसाया गया था। राज्य रिट याचिका दायर करने से पहले आरोप–पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सका था और जब यह याचिका इस न्यायालय में दायर की गई थी, तभी विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि 6 नवंबर, 2002 को न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। हम आपराधिक कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप चल सकती है, लेकिन हम यह देखना चाहेंगे कि यदि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है, तो राज्य को उसे समाप्त करने में तत्परता दिखानी चाहिए और मामले को लटकाए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार आरोपित सरकारी कर्मचारी को अनुचित लाभ मिलता है और कई बार यह सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित एक मौलिक अधिकार होने के नाते त्वरित सुनवाई के अधिकार को किसी भी तरह से पराजित या विकृत नहीं किया जा सकता है। चूंकि किसी भी सेवा नियम या सरकारी आदेश या किसी अन्य कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और कम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> से कम विद्वान स्थायी वकील द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रावधान नहीं उद्धृत किया गया है, भले ही याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही में कोई दंड दिया गया हो, जो अब तक उसके सेवाकाल या सेवा लाभों के संबंध में कोई परिणाम नहीं देगा। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि ट्रैप मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के आधार पर याचिकाकर्ता को संपूर्ण सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ या बकाया राशि जारी न करने में विपक्षी दलों की कार्रवाई को उचित या कानूनी नहीं कहा जा सकता है।

17. नियम 64 (1) (सी) नियम, 1976 में विशेष रूप से प्रावधान है कि यदि न्यायिक कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही लंबित है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान अतः याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से कोई सहायता नहीं मिलती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **अंगद प्रसाद विश्वकर्मा (पूर्वोक्त)** के मामले में समन्वय पीठ ने माना कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करना एक नियम है, नियत तिथि पर भुगतान न करना अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपवाद है। उपरोक्त निर्णय का पैरा 7 इस प्रकार है:–

> 7. सेवानिवृत्ति की तिथि पर सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करना एक नियम है, नियत तिथि पर भुगतान न करना अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपवाद है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत सक्षम विधायिका द्वारा किसी विशेष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के मामले को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से काफी पहले संसाधित करने और सेवानिवृत्ति की तिथि पर लाभ देने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में इसी सिद्धांत को दोहराया है, जिसमें कहा गया है

कि "यह अपेक्षित है कि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर या उसके तुरंत बाद किया जाना चाहिए, यदि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि पर भुगतान नहीं किया जा सकता है"। (समर्थन के लिए **विजय एल. मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** देखें।) इतना ही नहीं, विजय एल. मेहरोत्रा (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इस न्यायालय द्वारा **श्याम देव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** सहित अनेक मामलों में अनुपालन किया गया है, जिन्हें आईएलआर 2017 छत्तीसगढ़ 1779 में रिपोर्ट किया गया है।

19. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि आपराधिक मामला अभी भी लंबित है; इसलिए, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है, और याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान न करने का एक कारण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. नियम, 1976 के नियम 3 (एन) में "पेंशन" को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:–

"पेंशन" में ग्रेच्युटी शामिल है, सिवाय इसके कि जब इसका उपयोग ग्रेच्युटी के विपरीत किया जाता है।

21. "पेंशन" की परिभाषा में ग्रेच्युटी शामिल है। पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा पहले ही खारिज किया जा चुका है। 2017 के डब्ल्यूपीएस संख्या 1627 में समन्वय पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और 2024 के डब्लूए संख्या 133 में डिवीजन बेंच द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

22. उपरोक्त तथ्यों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में किसी भी निर्देश या आदेश के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इस प्रकार, तत्काल याचिका विफल हो जाती है और इसे **खारिज** कर दिया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

23. हालांकि, प्रतिवादी अधिकारियों को एमपी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक अपील के समापन के बाद याचिकाकर्ता के दावे का फैसला करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(राकेश मोहन पांडेय)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।